नोटिस

प्रमुख सचिव,गृह एवं कारागार विभाग,उत्तराखण्ड सचिवालय, सुभाष मार्ग देहरादून के अर्द्ध शा० पत्र संख्या 78/प्र०स०ए०/2015 दिनांक 04.09.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि जनपद में शस्त्र लाईसेन्स धारकों में से 897 ऐसे शस्त्र धारक हैं जिनके द्वारा अपना आतिथि तक अपना सम्पूर्ण विवरण के KYC फार्म सहित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। यही नहीं उक्त 897 लाईसेन्स धारकों द्वारा विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अपना शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकृत भी नहीं करवाया गया है। यह शस्त्र अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसे समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारकों की सूची जिला प्रशासन/पुलिस के सार्वजनिक सूचना पट्टों,तथा NIC अल्मोड़ा के साईड www.almora.nic.in में उपलब्ध है।

अत: ऐसे समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24.09.2015 के पूर्वान्हन तक अपना शस्त्र अनुज्ञापन नवीनीकृत/अनवीनीकृत विधिवत भरे गये KYC फार्म सहित शस्त्र अनुभाग,जिला कार्यालय,अल्मोड़ा में उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। ताकि NADL की पोर्टल में उनकी सूचना अपलोड कर उन्हें UIN नम्बर जारी किया जा सकें। यह भी सूच्य है कि UIN नम्बर जारी नहीं होने पर ऐसे शस्त्र लाईसेन्स धारकों के लाईसेन्स गृह विभाग द्वारा निरस्त किये जा सकते हैं।

कृपया सूचना जानें।

दिनांक 16.09.2015

(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव),
जिला मजिस्ट्रेट,अल्मोड़ा

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव,गृह,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2. पुलिस अधीक्षक,अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूची में अंकित शस्त्र धारकों की सूची समस्त थानों व पुलिस कार्यालय में चस्पा करते हुए थानाध्यक्षों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट,जनपद अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना अधिकारी,अल्मोड़ा को इस आशय से कि दिनांक 17.09.2015 के समाचार पत्रों में उक्त समाचार न्यूनतम शासकीय दरों में अमर उजाला/दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
5. जिला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी,अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी वेबसाईड में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव),
जिला मजिस्ट्रेट,अल्मोड़ा